पंचायतों को वित्तीय सहायता

195. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1964 में राजस्थान विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित पंचायत तथा आयोजन गोष्ठी में अभिभाषण करते हुये योजना आयोग के एक सदस्य द्वारा दिये गये इस सुझाव के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है कि राज्य सरकारें अपने लिये वित्तीय संसाधन ढूंढ़ निकालने के कार्य को अब राज्य पंचायत संस्थाओं पर नहीं छोड़ सकतीं एवं समय आ गया है कि कराधान, उनकी वसूली और उनके वितरण के लिये विधान बनाया जाये ;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस मामले में कोई सलाह दी गई है ; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनका ऐसा विधान बनाने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पंचायती राज और आयोजन पर आयोजित की गई गोष्ठी में भाषण करते हुए योजना आयोग के सदस्य ने पंचायतीराज संस्थाओं के लिए वित्तीय संसाधन ढूंढने पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा अथवा के लिए अतिरिक्त कराधान के लिये विधान बनाने और अतिरिक्त कराधान की आय के वंटन और वसूली के प्रश्न के बारे में जो संकेत किया था, उस पर सरकार पहले से ही विचार कर रही है । केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई पंचायतीराज वित्त की अध्ययन टोली की सिफारिशें राज्य सरकारों को विचारार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गई थीं । इनमें कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिन्हें यदि अपनाया गया तो राज्य सरकारों को विधान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी ।

Traffic Control in Delhi

196. Shri Heda: Will the Minister of **Transport** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Bombay School girls and boys gave a demonstration of Traffic Control in Delhi;

(b) if so, what were the impressions; and

(c) whether there is any scheme to give similar training to Delhi students?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) A group of 29 school children from Bombay gave a demonstration of regulating pedestrian traffic at the Parliament Street—Connaught Circus Crossing in December, 1964.

(b) The idea was widely appreciated.

(c) The Traffic Unit of the Delhi Police is working out a scheme to arrange similar training to selected school children in Delhi.

Constituent Assembly Documents

197. Dr. L. M. Singhvi: Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that important documents and files of the Constituent Assembly relating to the framing of the Constitution of India were till recently stored in a basement record room where some of them reached a state of decay; and

(b) if so, whether arrangements, if any, have been made for the proper maintenance and preservation of the documents?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Jaganatha Rao): (a) and (b). The records of the Constituent Assembly which are in the possession of the Law Ministry, are kept in steel almirahs in the record room of the Ministry and, they are, as stated in the reply to unstarred question No. 1481 in the Lok Sabha on the 5th April, 1963, in safe custody. These documents have been classified and

are preserved as valuable documents and all of them including those kept in the National Archives, are made available to *bona fide* research scholars for reference in accordance with the rules governing such research.

Agricultural Loan to Punjab

198. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the request of Punjab Government for the allotment of funds for long, medium and short term loans for agriculture purposes during 1963-64 was fully met;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken during the current year to meet fully the requirements of the State in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food and Agriculture (Shri Shahnawaz Khan): (a) and (b). The request of funds for long and medium term loans was met in full. In fact the State Government could not spend the entire amount allocated. As regards short-term loan, as against the State Government's request for sanction of short term loan of Rs. 388.25 lakhs, the loan actually sanctioned was 317.81 lakhs. The request could not be met in full due to the limited availability of funds necessitating a *prorata* distribution.

(c) During the current year a loan of Rs. 301 lakhs has been allocated for State Plan Schemes based on the outlay approved for agricultural programmes. Central assistance by way of loan (long and medium term) will be released to the State Government provisionally during March, 1965 on the basis of progress of expenditure actually incurred. As regards short term loan, the State Government have approached the Central Government for the sanction of a loan of Rs. 6 crores. The request of the State Government is under consideration.

पशु विकास कार्यक्रम

199. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964–65 में विशेष विकास कार्यक्रम पशु-पालन योजनाओं के अन्तर्गत 6.50 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) उस प्राधिकारी का नाम क्या है जो इस व्यय पर निगरानी रखेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) विशेष विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 11.67 करोड़ रुपए की पशु-पालन योजनायें अब तक स्वीकृत की गई हैं । क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ये समस्त योजनाएं पूरे तौर से क्रियान्वित की जानी हैं अतः 11.77 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च 1964–65 और 1965–66 दोनों वर्षों के लिए है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3831/65]**

(ग) केन्द्रीय सरकार के तकनीकी मार्ग-दर्शन से योजनायें समस्त हालतों में सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जानी हैं ।

कृषि वस्तुओं का उत्पादन

200. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि वस्तुओं के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;